

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

न्यायालय उपायुक्त, राँची

एस०ए०आर० 38 आर० 15/2017-18

55
11.03.23

राम सिंह पिता बिगलु सिंह, निवासी ग्राम सिदरॉल थाना नामकुम जिला राँची अपीलकर्ता

बनाम्

इमानुएल लकड़ा पिता स्व० जुनुस लकड़ा, निवासी ग्राम सिंदवार टोली सिदरॉल, थाना नामकुम जिला राँची उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता ने श्रीमति मधुमिता कुमारी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा एस० ए० आर० वाद सं० 75/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 के खिलाफ दायर किया है, जिसके अर्न्तगत विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची ने उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध मौजा सिदरॉल, थाना सं० 218, थाना नामकुम, जिला राँची के खाता सं० 15, प्लॉट सं० 969 रकबा 12 डी० भूमि की वापसी हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 71ए० के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए अंचलाधिकारी नामकुम को उपरोक्त भूमि उत्तरवादी सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजों को दखल दिलाना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार -

मौजा सिदरॉल, थाना सं० 218, थाना नामकुम, जिला राँची के खाता सं० 15, प्लॉट सं० 969 रकबा 12 डी० भूमि को अपीलकर्ता के पूर्वज बिगलु सिंह ने खतियानी रैयत के वंशज जोहन उरॉव एवं जुनुस उरॉव से रु० 200/- मुल्य चुका कर वर्ष 1950 में सादा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त किया है तथा उपरोक्त हस्तांतरण के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1950 ई० में ही उक्त भूमि पर मकान का निर्माण कर अपने परिवार के साथ आजिवन निवास करते रहे। उपरोक्त बिगलु सिंह के मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि पर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। अपीलकर्ता भूमिहीन



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

:- 2 :-

है, उनके पास उपरोक्त भूमि के अलावे अन्य कोई भूमि नहीं है।

उत्तरवादी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। वे विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वे खतियानी रैयत के वंशज हैं। अपीलकर्ता के पक्ष में परिक्षित गवाहों में से सभी, यह साबित करने में सफल रहे हैं कि अपीलकर्ता के पिता ने वर्ष 1950 ई० में प्रश्नगत भूमि पर मकान का निर्माण कराया था, तभी से वे उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे हैं।

उत्तरवादी द्वारा दायर प्रस्तुत वाद भूमि के हस्तांतरण से 60 वर्षों के उपरान्त दायर किया गया है, एवं इस लिए कालबाधित है एवं चूंकि प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1969 ई० के पूर्व से मकान निर्मित है, अतः उसकी प्रकृति छप्परबंदी में तब्दील हो गया है एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के परिधि से बहार है। उत्तरवादी द्वारा दायर वाद संधारणीय नहीं है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार -

मौजा सिदरॉल, थाना सं० 218, थाना नामकुम, जिला राँची के खाता सं० 15, प्लॉट सं० 969 रकबा 36 डी० भूमि आर० एस० खतियान में घुरना महतो, हिन्दुआ महतो एवं सोमा महतो के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी खतियानी रैयत के वंशज हैं। अपीलकर्ता छल प्रपंच द्वारा उपरोक्त भूमि मध्ये 12 डी० भूमि को दखल कर लिये हैं।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि मौजा सिदरॉल, थाना सं० 218, थाना नामकुम, जिला राँची के खाता सं० 15, प्लॉट सं० 969 रकबा 12 डी० प्रश्नगत भूमि खतियान में घुरना महतो, हिन्दुआ महतो एवं सोमा महता, कौम उरॉव के नाम से कायमी दर्ज है। अपीलकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने उपरोक्त भूमि जोहन उरॉव वैगरह से सादा पट्टा के आधार पर प्राप्त किया है। उनके द्वारा सादा पट्टा की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिसे उत्तरवादी द्वारा नकारा नहीं गया है। अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत गवाह के ब्यान के अनुसार उपरोक्त भूमि पर अपीलकर्ता के

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3


-: 3 :-


पिता द्वारा मकान का निर्माण करवा गया है। स्वयं उत्तरवादी इमानुल लकड़ा ने परिक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि पर मकान निर्मित है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के द्वितीय परन्तुक के अनुसार *Provided further that where the Deputy Commissioner is satisfied that the transferee has constructed a substantial structure or building on such holding or portion thereof before coming into force of the Bihar Scheduled Areas Regulation, 1969, he may, notwithstanding any other provisions of the Act, validate such transfer where the transferee either makes available to the transferor an alternative holding or portion thereof as the case may be, of the equivalent value of the vicinity or pays adequate compensation to be determined by the Commissioner for rehabilitation of the transferor:*

अतः यह अपीलवाद स्वीकृत किया जाता है तथा विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा एस० ए० आर० वाद सं० 75/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 को निरस्त करते हुए यह मामला विद्वान विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची को उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं प्रावधान के आलोक में दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान कर एवं प्रश्नगत भूमि पर संरचना के निर्माण काल का निर्धारण कर नये सिरे से आदेश पारित करने के निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखपित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची


उपायुक्त
राँची